

कार्यालय प्राचार्य,
इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट,
एयरपोर्ट रोड, महाराजपुरा, ग्वालियर (म० प्र०)।

क. आई.एच.एम.ग्वा./स्था./होस्टल मैस-138/4123/25

ग्वालियर, दिनांक: 21.02.2025.

प्रति,

मैसर्स शिवपाल सिंह बुन्देला कैंटर्स,
पानी की टंकी के पास,
आमखो पहाड़िया, लश्कर,
ग्वालियर -474001 म.प्र.
मोबा.-9589129203

विषय: हॉस्टल मैस में मय सामग्री भोजन प्रदाय करने के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत आपकी निविदा दिनांक 24.09.2024 के अनुसार एल-1। फर्म द्वारा उक्त सामग्री प्रदाय करने में अस्मर्थता जाहिर करने के उपरांत, एल-3 पाई गई है, इस संबंध में आप मैस समिति के समक्ष निगोशियेसन हेतु उपस्थित होकर अपनी सहमति पत्र दिनांक 18/02/2025 के द्वारा प्रस्तुत की है, जिसे स्वीकार किया जाता है। अतः आप दिनांक 01/03/2025 से 01 वर्ष के लिए प्रति छात्र प्रति माह राशि रु.2200-00 की दर से निम्नांकित शर्तों के अधीन आपको स्वीकृति प्रदान की जाती है। जिस सम्बंध में सुरक्षा राशि रु. 50,000-00 (पचास हजार मात्र) एवं एक अनुबंध 100 रुपये के स्टाम्प पत्र पर नियम एवं शर्तों के पालन स्वरूप फर्म की मुद्रा व हस्ताक्षर सहित संस्था में दिनांक 12.03.2025 तक अनिवार्यतः जमा करावें।

नियम एवं शर्तें :-

- (अ) सामान्य नियम एवं शर्तें
- (ब) देयक भुगतान हेतु नियम एवं शर्तें

क्रमशः-- 2/-

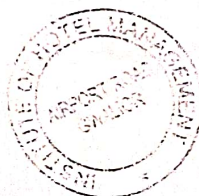


- / / 02 / / -

(अ) सामान्य नियम एवं शर्तें :-

1. संस्था द्वारा प्रदाय राशि रु. 2200-00 की दर में सभी प्रकार के कर एवं व्यय सम्मिलित रहेंगे। इसके लिए अलग से अन्य किसी प्रकार का भुगतान देय नहीं होगा।
2. खाना बनाने, परोसने एवं किचन की साफ सफाई से संबंधित सभी कार्यों का दायित्व आपका रहेगा। संस्था द्वारा इसके लिए अलग से किसी प्रकार की सुविधा/व्यय देय नहीं होगा। छात्रों का भोजन निविदा में प्रस्तुत मैनू के अनुसार ही तैयार करना होगा।
3. किसी भी दिन संस्था द्वारा अधिकृत समिति द्वारा प्रदाय की जा रही सेवाओं का आकलन/निरीक्षण किया जावेगा। फर्म को निविदा में प्रस्तुत नियम व शर्तों का पालन करना होगा। समिति द्वारा निरीक्षण/आकलन में खाने की गुणवत्ता के सम्बंध में कच्ची एवं पकी तैयार की हुई सामग्री को जांचा जायेगा।
4. फर्म को लगाये गये कर्मचारियों को परिचय पत्र बनाकर देने होंगे, जिसके लिये संस्था द्वारा कोई व्यय नहीं दिया जायेगा एवं छात्रावास मैस में कार्य करते समय कर्मियों को हर समय साथ में परिचय पत्र रखना अनिवार्य होगा। किसी भी अन्य व्यक्ति को छात्रावास में अन्दर जाने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
5. श्रम एवं मजदूरी सम्बन्धी सभी अधिनियमों का पालन फर्म स्वामी द्वारा करना होगा, यदि किसी भी प्रकार का कोई दावा आता है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी फर्म की रहेगी।
6. यह निविदा एक दिनांक 01/03/2025 से 01 वर्ष के लिए स्वीकृत है जिस आगे भी बढ़ाया जा सकता है। यदि कोई भी कमी पाई जाती है तो कभी भी स्वीकृत फर्म को पूर्व सूचना देकर अनुबंध को बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है।
7. संस्था द्वारा यदि किसी कारण वश मैस अनुबंध समाप्त करना है, तो एक माह का नोटिस देकर अनुबंध निरस्त किया जायेगा एवं फर्म द्वारा यदि अनुबंध निरस्त करना है तो तीन माह पूर्व नोटिस प्रस्तुत करना होगा।
8. किसी भी प्रकार की कोई न्यायालय प्रकरण के सम्बंध में ग्वालियर ही न्याय क्षेत्र मान्य होगा।
9. फर्म द्वारा यदि शैक्षणिक सत्र पूर्व होने के पहले ही अपनी सेवाएं न प्रदान करने/छोड़ने की दशा में फर्म द्वारा जमा सुरक्षा राशि राजसात/जब्त की जावेगी।
10. फर्म स्वामी को निविदा में दशाई गई शर्तों के अनुरूप पूर्ण रूपेण पालन करना होगा।
11. संस्था प्राचार्य को पूर्ण अधिकार सुरक्षित होगा कि वह निविदा को बिना कारण बताये किसी भी समय निरस्त कर सकता है।
12. संस्था में वर्ष में 02 बार राष्ट्रीय पर्व पर स्टॉफ सहित छात्रों को नास्ता एवं चाय की व्यवस्था करनी होगी जिसके लिये अलग से किसी प्रकार का देयक मान्य नहीं होगा।
13. संस्था में समय-समय पर आने वाले मेहमानों को नास्ते एवं खाने की व्यवस्था करनी होगी जिसके लिये आपको रुपये 100/- प्रति व्यक्ति की दर से देयक प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जावेगा।
14. उपरोक्त दरें समस्त कर सहित मान्य की जावेंगी अन्य कोई भी कर मान्य नहीं होगा।

कमश: — 03 / -



- / / 03 / / -

(ब) देयक भुगतान हेतु नियम एवं शर्त :-

1. देयक साफ सुथरे रूप में बिना किसी काट छाट के प्रति माह पहले सम्पत्ताह के अन्दर होस्टल वार्डन के मार्फत कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
2. देयक निर्धारित प्रारूप जिस में पेन नम्बर फर्म रजिस्ट्रेशन क्रमांक पूर्ण पता आदि जानकारी सहित होना चाहिये।
3. किसी भी माह के बीच में यदि मैस एक सप्ताह से अधिक समय हेतु बंद रखी जाती हैं, तो देयक मैस से अनुपातिक कटौती की जाकर प्रस्तुत करना होगा।

प्रतिलिपि,

4123-4124

- 1- विभागाध्यक्ष/वरिष्ठ व्याख्याता, आईएचएम. ग्वालियर की ओर सूचनार्थ ।
- 2- छात्र/छात्रायें होस्टल वार्डन की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3- संस्था होस्टल समिती सदस्यों, आईएचएम. ग्वालियर की ओर सूचनार्थ ।
- 4- भण्डार/रख रखाव प्रभारी की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 5- लेखाशाखा, आईएचएम. ग्वालियर की ओर सूचनार्थ ।

पुष्पकान्त शर्मा
21/02/20

प्राचार्य

